राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 633/2015/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 634/2015/भीलवाड़ा.

मैसर्स बी. एम. ट्रेडर्स, कावखेड़ा रोड़, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 134/वैट/13–14 एवं 135/सीएसटी/13–14 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 28.01.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये अधिनियम की धारा 21, 24(4) तथा नियम 19 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवहारी का कोई भी रेकॉर्ड अप्राप्त रहने से अन्य सूचना के आधार पर आदेश पारित किया गया जिसका कारण यह रहा है कि उसके विरूद्ध आपराधिक मामलों में C.I.D.(CB) द्वारा जांच के दौरान आलौच्य अवधि की लेखा–पुस्तकें सीज कर दिये जाने से किसी भी तरह का रेकॉर्ड कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका परन्तु दिनांक 28.01.2013 को अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते

लगातार.....2

हुए एक शपथपत्र पेश किया गया जिसमें रूपये 20,000/— से कम कर दायित्व बताते हुए केवल वार्षिक विवरण—पत्र पेश करने का ही दायित्व बताया गया तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को एक नोटिस जारी किया जाकर यह पूछा गया कि C.I.D.(CB) से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर व्यवसायी की कुल खरीद 41.64 लाख क्यों नहीं मानी जावे तथा पूर्व वर्ष में रूपये 20,000/— से अधिक कर जमा होने से त्रैमासिक विवरण—पत्र प्रस्तुत करने का दायी होने की भी सूचना दी गयी एवं व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट अनुसार बिक्री 27.88 लाख एवं कर रूपये 3.90 लाख होना भी बताया गया। व्यवहारी की ओर से नोटिस के जवाब में यह बताया गया कि C.I.D.(CB) के आधार पर जो खरीद बिक्री का प्रस्ताव किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में उन्हें रेकॉर्ड दिया जावे एवं यह भी बताया गया कि मैसर्स गणेश एक्स्प्लोजिव, सागर से उनका कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। इन जवाबों के मद्देनजर एवं व्यवहारी के शपथपत्र के अध्ययन के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी त्रैमासिक विवरण—पत्र प्रस्तुत करने के लिये दायित्वाधीन हैं एवं उल्लेख किया कि दिनांक 04.10.2012 को वर्ष 2010—11 की प्रथम तिमाही हेतु पारित अस्थाई कर निर्धारण आदेश एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी थी अतः अब और दस्तावेज की प्रतियां मांगने का औचित्य नहीं है। यह भी निर्णय किया कि थानाधिकारी, सदर थाना, भीलवाड़ा द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत चार्जशीट की प्रति के अनुसार मैसर्स गणेश एक्स्प्लोजिव, सागर, सत्येश एन्टरप्राईजेज चित्तौड़गढ़, सत्यवीर ट्रेडिंग कम्पनी पिछोलामा एवं रांका एण्ड कम्पनी राजकोट को एक्स्प्लोजिव विक्रय करना बताया है तथा थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अवैध आर्थिक लाभ अर्जन का उद्देश्य होना भी अंकित किया था अतः इन आधारों पर कर निर्धारण अधिकारी ने C.I.D.(CB) से प्राप्त रेकॉर्ड के आधार पर खरीद एवं बिक्री को निर्धारित करते हुए वेट अधिनियम के तहत एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पृथक—पृथक आदेश पारित कर मांग सृजित कर दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपील अस्वीकार की गयी कि व्यवसायी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखे पेश नहीं किये हैं अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया गया विक्रय का अनुमान विधिसम्मत है एवं विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने से जो शास्ति आरोपित की गयी है वह विधिसम्मत है। इस तरह उक्त तथ्यों के अधीन अपील के अस्वीकार करने से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....3

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट को अमान्य करते हुए C.I.D.(CB) के रेकॉर्ड के आधार पर खरीद एवं बिक्री का एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया है जो इस आधार पर अनुचित है कि स्वयं C.I.D.(CB) की उपलब्ध रिपोर्ट में यह बताया है कि जांच में सत्यवीर ट्रेडिंग कम्पनी, रांका एण्ड कम्पनी, सत्येश एन्टरप्राईजेज द्वारा विस्फोटक खरीदने हेतु न तो कोई RE-11 जारी किया एवं न ही विस्फोटक प्राप्त करना बताया गया है एवं विस्फोटकों के रेकॉर्ड वाले पेनड्राईव व कम्प्यूटर नष्ट कर देने से सभी सबूत नष्ट हो चुके हैं जो पुलिस को धोखा देने की नियत से किया जाना बताया गया। विद्वान अभिभाषक ने कहा है कि पुलिस की इस रिपोर्ट से प्रथमतया यह स्पष्ट है कि उनके विरूद्ध जहां एक ओर विस्फोटक की खरीद—बिक्री करने सम्बन्धी आपराधिक मामला बनाया गया था, वहीं उसी जांच में यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी द्वारा वास्तविक रूप से कोई खरीद बिक्री नहीं होना अनुसंधान में पाया गया है। उन्होंने यह कथन किया कि पुलिस की अनुसंधान में आपराधिक मामला बनाये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी खरीद बिक्री को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अनुमानित कर लिया जावे जबकि स्वयं पुलिस की रिपोर्ट में इसे वास्तविक खरीद बिक्री नहीं बताया तथा किसी भी तरह के माल का भौतिक रूप से आना एवं विक्रय नहीं होना पुलिस रिपोर्ट में दर्ज किया हुआ है।

5. उन्होंने कथन किया कि इस तरह की आरोपित सूचना जो कि पुलिस विभाग से प्राप्त होना बताया है वह आधारहीन है एवं स्वयं की स्वतंत्र जांच के बिना ही आदेश पारित किया जाना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **सहायक आयुक्त, वृत—बी, भिवाड़ी बनाम बेरीवाल कास्टिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 76 एस.टी.सी. 262 (राज.)** के आलोक में अपास्तनीय है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी की ओर से दिनांक 30.01.2013 एवं 28.05.2013 को पुनः शपथपत्र प्रस्तुत कर यह बताया गया था कि उक्त महिला अपीलार्थी ने किसी भी तरह की खरीद गणेश एक्स्प्लोजिव, मध्यप्रदेश से नहीं की है एवं न ही उक्त वर्णित कम्पनी से अन्य खरीद की गयी है। यह भी बताया गया था कि उनके द्वारा अन्तर्राज्यीय खरीद हेतु घोषणा पत्र एवं किसी भी तरह के 'सी' फॉर्म प्राप्त नहीं किये गये थे परन्तु अपीलार्थी के शपथपत्र को खण्डित किये बिना ही उनके विरूद्ध खरीद एवं बिक्री किया जाना मान लिया गया। उन्होंने कथन किया कि बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये केवल विस्फोटकों की 'ई' फॉर्म की काल्पनिक जानकारी के आधार पर जो खरीद बिक्री अवधारित की है वह विधिक दृष्टि से अमान्य है अतः पारित कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने का तर्क दिया।

लगातार.....4

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि पुलिस विभाग द्वारा उनके समस्त रेकॉर्ड जब्त हो जाने से उनके द्वारा किसी तरह के दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी को पेश नहीं किये जा सके एवं आलौच्य अवधि में उनका कोई कर दायित्व नहीं होने से विवरण पत्रों की अप्रस्तुती पर शास्ति का आरोपण भी अनुचित रूप से किया गया है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण के समय वेट अधिनियम की धारा 58 को अधिनियम से विलोपित किया जा चुका था ऐसी स्थिति में उक्त धारा में शास्ति का आरोपण किया जाना भी अविधिक है। साथ ही बिना किसी विशिष्ठ नोटिस के वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति के आरोपण को अविधिक बताया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश को पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर होने से इसे विधिसम्मत बताया एवं कथन किया कि स्वयं अपीलार्थी द्वारा कोई रेकॉर्ड पेश नहीं किया गया था अतः पुलिस विभाग के पास उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर कर निर्धारण किया गया है जिसमें कोई अविधिकता नहीं है।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. कर निर्धारण आदेश के प्रथम दृष्टया अध्ययन पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट एवं शपथपत्र को अमान्य करते हुए एवं दिये गये तथ्यों का खण्डन किये बिना C.I.D.(CB) के रेकॉर्ड के आधार पर खरीद बिक्री एकपक्षीय निर्धारित की है जबकि यह तथ्य रेकॉर्ड पर उपलब्ध है कि C.I.D.(CB) की गिरफ्तारी रिपोर्ट एवं थानाधिकारी की जांच में यह अंकित किया हुआ है कि जांच में सत्यवीर ट्रेडिंग कम्पनी, रांका एण्ड कम्पनी, सत्येश एन्टरप्राईजेज द्वारा अपीलार्थी फर्म को विस्फोटक खरीदने हेत कोई RE-11 जारी नहीं किया गया एवं न ही विस्फोटक प्राप्त हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि माल की वास्तविक खरीद बिक्री प्रमाणित नहीं हुई थी।

11. पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि दिनांक 24.09.2012 को C.I.D.(CB) के द्वारा उपलब्ध करवाये गये विभागीय दस्तावेजों की प्रति दी जाने की मांग की गयी थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली के आदेश पत्र पर कोई उल्लेख नहीं पाया गया जो प्रतियां व्यवहारी को उपलब्ध कराने को सत्यापित कर सके, परन्तु पत्रावली में थानाधिकारी पुलिस थाना सदर भीलवाड़ा की एक अन्तिम रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें राज्य के विभिन्न एक्स्प्लोजिव व्यवसायियों के विरूद्ध उनके आपराधिक कार्यों को उजागर करने के लिये की गयी कार्यवाही एवं

लगातार.....5

उनसे प्राप्त किये गये खरीद एवं बिक्री बिल तथा परिवहन सम्बन्धी किये गये कार्यों के लिये ट्रक ड्राईवरों की पूछताछ आदि होना उपलब्ध है जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के क्रय विक्रय का निर्धारण किया गया है परन्तु इस रिपोर्ट की प्रति व्यवसायी को दिया जाना नहीं पाया गया है एवं कर निर्धारण आदेश में भी केवल यही अंकित है कि पूर्व में अस्थाई कर निर्धारण के समय दस्तावेजों की प्रतियां दी गयी थी परन्तु ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है कि उन्हें ऐसी कोई प्रति उपलब्ध करवाई गई थी। हालांकि पत्रावली पर अपीलार्थी की खरीद एवं बिक्री का विवरण मय मूल प्रति एवं तारीख के लिखे हुए हैं ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करने में सर्वोत्तम ज्ञान का उपयोग किया है इसमें कोई संदेह नहीं है परन्तु अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं होना भी परिलक्षित होता है क्योंकि अपीलार्थी के शपथपत्र एवं अपील सुनवाई के समय यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि इन खरीद बिलों की कोई प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई हो। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह उचित होगा कि कर निर्धारण अधिकारी खरीद एवं बिक्री बिलों सम्बन्धी प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध करावें एवं एक विशिष्ठ नोटिस के जरिये सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करें जिससे न्यायिक प्रक्रिया में सुनवाई नहीं दिये जाने की प्रक्रियात्मक भूल कारित नहीं हो।

12. फलतः दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी के खरीद एवं बिक्री बिलों सम्बन्धी रेकॉर्ड उपलब्ध करवाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। यह अंकित किया जाना उचित होगा कि पुलिस अनुसंधान में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि माल वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं किया गया था जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने ऊपर अभिकथनों में बताया है अतः इस बिन्दु पर एवं प्रत्येक दस्तावेज का विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।

16/8/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य